संख्या-50 /2023/295-001-22-4-2023-1373463

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 में नवसृजित जनपद सम्भल में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-14687/नम-2/72/2012/सम्भल भूमि क्रय, दिनांक-09-05-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद सम्भल में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-घासीपुर, तहसील-चन्दौसी, जनपद- सम्भल में चयनित 27.280 हेक्टेयर भूमि में से कृषकों की 26.349 हेक्टेयर भूमि के क्रय हेतु **रू0 24,00,00,000/- (रूपया चौबीस करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) क्रय हेतु प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि जनपद सम्भल में प्रस्तावित जिला कारागार के निर्माण की आवश्यकता/औचित्य के विषय में समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपेक्षित स्तर पर निर्णय लेते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

(2) महानिरीक्षक, कारागार मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(3) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(4) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,00,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000900 नवसृजित जनपदों में कारागार कें निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-118-X-2023-24-दिनांक:7-7-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-50 /2023/295-001-22-4-2023-1373463, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) जिलाधिकारी, सम्भल।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।